निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 पौष 1947 (श0)
(सं0 पटना 62) पटना, सोमवार, 19 जनवरी 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना
15 जनवरी 2026

सं० एसीस–01/नि०–28/2014–63—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल **"बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिचारिका श्रेणी 'ए' (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) संवर्ग नियमावली, 2016"** में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।**–
   (1) यह नियमावली **"बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिचारिका श्रेणी 'ए' (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2026"** कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा।

2. **बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिचारिका श्रेणी 'ए' (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) संवर्ग नियमावली, 2016" के नियम–2 (v) का प्रतिस्थापन।**– उक्त नियमावली के नियम–2 (v) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

"(v) आयोग से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी सेवा आयोग;"

3. **बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिचारिका श्रेणी 'ए' (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) संवर्ग नियमावली, 2016 के नियम 6 का प्रतिस्थापन।**– उक्त नियमावली के नियम 6 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

"6. **अर्हताएँ।**– इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए अर्हताएँ स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली, 2024 (समय–समय पर यथासंशोधित) में स्टॉफ नर्स के पद पर नियुक्ति हेतु यथा निर्धारित अर्हताएँ एवं उम्र सीमा के समरूप होगी।"

4. **बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिचारिका श्रेणी 'ए' (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) संवर्ग नियमावली, 2016" के नियम–7 का प्रतिस्थापन।**– उक्त नियमावली के नियम–7 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

"7. **भर्ती की प्रक्रिया।**– इस संवर्ग में भर्ती की प्रक्रिया स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली, 2024 (समय–समय पर यथासंशोधित) में स्टॉफ नर्स के पद पर नियुक्ति हेतु यथा निर्धारित भर्ती की प्रक्रिया के समरूप होगी।"

5. **बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिचारिका श्रेणी 'ए' (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) संवर्ग नियमावली, 2016" के नियम–8 का प्रतिस्थापन।**– उक्त नियमावली के नियम–8 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

"8. **परिवीक्षा अवधि।**– आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्त्ती से नियुक्त ग्रेड 'ए' नर्स 01 (एक) वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 01 (एक) और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।"

6. **बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिचारिका श्रेणी 'ए' (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) संवर्ग नियमावली, 2016" के नियम–12 का प्रतिस्थापन।**– उक्त नियमावली के नियम–12 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

"12. **प्रोन्नति के सोपान।**–

(i) सेवा में सम्पुष्ट स्टॉफ नर्स को रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए उच्चतर पद पर प्रोन्नति हेतु भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा निर्धारित अर्हता एवं अनुभव/सेवा अवधि पूर्ण करने पर वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर इस नियमावली के परिशिष्ट–1 में प्रावधानित उच्चतर पदों पर प्रोन्नति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(ii) प्रोन्नति पर विचार करते समय सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रोन्नति एवं कालावधि संबंधी समय–समय पर निर्गत अनुदेशों तथा चारित्री या पी०ए०आर० संबंधी मुहरबन्द लिफाफा पद्धति आदि के सबंध में निर्गत अनुदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।"

7. **बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिचारिका श्रेणी 'ए' (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) संवर्ग नियमावली 2016" के परिशिष्ट–1 का प्रतिस्थापन।**– उक्त नियमावली के परिशिष्ट–1 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

परिशिष्ट–1

[नियम 2 (vii), 4, 12 द्रष्टव्य]

बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिचारिका श्रेणी 'ए' (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) संवर्ग का पदसोपान

क्र०	कोटि	पदनाम	प्रास्थिति
1.	मूल कोटि	स्टॉफ नर्स	अराजपत्रित
2.	प्रथम प्रोन्नति	मेट्रॉन	अराजपत्रित
3.	द्वितीय प्रोन्नति	नर्सिंग अधीक्षक	अराजपत्रित

नोटः– **उपर्युक्त सभी कोटियों का वेतन बैंड, ग्रेड–पे एवं पे–लेवल वही होगा जो सरकार द्वारा, समय–समय पर, अवधारित की जायेगी।**

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रंजन,
सरकार के विशेष सचिव।

---

15 जनवरी 2026

सं० एसीस–01/नि०–26/2014–64, सं० एसीस–01/नि०–26/2014–63 दिनांक 15 जनवरी 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

The 15th January 2026

No- ESIS-01/NI-28/2014-63—In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the **"Bihar Employees State Insurance Scheme Nurse Grade- 'A' (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre Rules, 2016.**

1. *Short title, extent and commencement.—*

   (1) These rules may be called the Bihar Employees State Insurance Scheme Nurse Grade-'A' (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre (Amendment) Rules, 2026.

   (2) It shall extend to whole of the State of Bihar.

   (3) It shall come into force from the date of publication in the official Gazette.

2. *Substitution of Rule 2 (V) of the Bihar Employees State Insurance Scheme Nurse Grade 'A' (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre Rules, 2016.*—Rule 2(v) of the said Rules shall be substituted by the following:-

   "(V) Commission means Bihar Technical Service Commission;"

3. *Substitution of Rule 6 of the Bihar Employees State Insurance Scheme Nurse Grade- 'A' (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre Rules, 2016.*—Rule 6 of the said Rules shall be substituted by the following:-

   "6. ***Qualifications.***—The qualifications for appointment in this cadre shall be the same as the qualification and age limit as prescribed for appointment to the post of Staff Nurse in the Bihar Nursing Cadre Rules, 2024 (as amended from time to time) under the control of the Health Department.

4. *Substitution of Rule-7 of Bihar Employees State Insurance Scheme Nurse Grade- 'A' (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre Rules 2016.*—Rule-7 of the said Rules shall be substituted by the following:-

   "7. ***Procedure of Recruitment.***—The procedure for recruitment in this cadre shall be similar to the procedure prescribed for recruitment to the post of Staff Nurse as prescribed in "Bihar Nursing Cadre Rules, 2024 (as amended from time to time) under the control of the Health Department".

5. *Substitution of Rule-8 of Bihar Employees State Insurance Scheme Nurse Grade- 'A' (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre Rules, 2016.*—Rule-8 of the said Rules shall be substituted by the following:-

   "(8) *Probation period.*—Grade 'A' nurses appointed through direct recruitment on the recommendation of the Commission shall be on probation for 01 (one) year. In case of unsatisfactory service during the probation period, it may be extended for 01 (one) more year. In case of unsatisfactory service even during the extended period, the service may be terminated."

6. *Substitution of Rule-12 of Bihar Employees State Insurance Scheme Nurse Grade- 'A' (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre Rules 2016.*—Rule-12 of the said Rules shall be substituted by the following:-

"12. *Hierarchy of Promotion-*

(i) Confirmed Staff Nurses in service may be considered for promotion to higher posts, subject to the availability of vacancies, on the basis of seniority-cum-merit, after fulfilling the qualifications and experience/service period prescribed by the Indian Nursing Council, to the higher posts provided in Appendix-1 of these rules.

(ii) While considering promotions, it will be mandatory to follow the instructions issued from time to time by the General Administration Department regarding promotion and tenure, and the instructions issued regarding sealed cover envelope system etc regarding character or PAR."

7. ***Substitution of Appendix-1 of "Bihar Employees State Insurance Scheme Nurse Grade- 'A' (Recruitment, Promotion and Service Condition) Cadre Rules 2016".***—Appendix-1 of the said Rules shall be substituted by the following:-

Annexure-1

[Rule 2 (vii), 4, 12]

"Bihar Employees State Insurance Scheme Nurse Grade- 'A'

(Recruitment, Promotion and Service Condition)

S. No.	Category	Designation	Remarks
1	Basic Category	Staff Nurses	Non-Gazetted
2	First ladder for promotion	Matron	Non-Gazetted
3	Second ladder for promotion	Nursing Superintendent	Non-Gazetted

By the order of the Governor of Bihar,
RAJEEV RANJAN,
Joint Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 62-571+50-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in

निदेशालय चिकित्सा सेवायें
कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, 5–बी, नियोजन भवन, बेली रोड, पटना
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग।

ज्ञाप संख्या–एसीस–01/नि०–28/2014 – 175 पटना, दिनांक– 20-02-2026

प्रतिलिपि– आई० टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.2.26

अवर सचिव
कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार